पर्रा उठा है। ये
एक माह से
दल ने किया

पोस्टमार्टम:-जिले के पांच डॉक्टरों के टीम के द्वारा मादा शावक हाथी का अलका पूरी जंगल में वन विभाग के उच्च अधिकारियों के समक्ष

का प्रमुख वन क्षेत्र अलका पूरी, रामनगर, पूरा, बेल डाब, चकेरी, मानपुर, महेश पुर सायर, कुंडेवा, केदमा सहित आस पास के दर्जनों गांवों में विचरण कर सैकड़ो किसानों के फसलों को नुकसान पहुचाने के

में हाथियों का दल उन्हें दौड़ाए गा इस लिए वन क्षेत्र में रहने वाले लोगो के लिए जान का खतरा बढ़ गया है।वह विभाग ने अपील की है कोई भी व्यक्ति जंगल एवं हाथियों के समीप ना जाये।

पाए गए तो वह विभाग कड़ा कार्यवाही करेगा। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है आगे की कार्यवाही चल रही है।
फेकू चौबे
वन परीक्षेत्र अधिकारी
उदयपुर

ागरूकता कार्यक्रम आयोजित



र 1098, 181 एवं 112 पर
ी पहचान गुप्त रखी जाती

ा:- मोबाइल का इस्तेमाल
से करें और हमेशा
ामने ही करें। अपने परिवार
से होने वाले अपराधों के
सी भी अपरिचित व्यक्ति
व्यक्तिगत जानकारी या

यम:- अपने अभिभावकों
स्टेशन और इंफ्योर्मेस हमेशा
ो कहें और गाड़ी चलाते
उपयोग अवश्य करें।
सखी वन स्टॉप सेंटर की

श्रीमती विनीता पैले ने सखी केंद्र में दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सखी में सभी सेवा प्रदाता महिलाएं हैं, जिससे महिलाएं अपनी बात आसानी से कह सकती हैं। 181 पर आने वाली सभी शिकायतों का निराकरण सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से किया जाता है। यहां शेल्टर, चिकित्सीय व्यवस्था, काउंसलिंग, कानूनी सहायता एवं पुलिस सहयोग जैसी सभी सेवाएं निशुल्क प्रदान की जाती हैं।

चाइल्ड हेल्पलाइन के काउंसलर जनार्दन यादव ने 1098 चाइल्डलाइन की सेवाओं के बारे में बताया कि इस हेल्पलाइन के माध्यम से संरक्षण की आवश्यकता वाले सभी बच्चों को 24 घंटे के अंदर सहयोग प्रदान किया जाता है। यह सेवा पूरी तरह निशुल्क है।

इस अवसर पर संस्था के प्राचार्य, सभी शिक्षक-शिक्षिकाएं, जिला बाल संरक्षण इकाई से श्रीमती आरती राजवाड़े एवं चाइल्ड हेल्पलाइन से दिनेश यादव उपस्थित रहे।

धान की एक फसल से आगे बढ़कर वर्ष में दो से तीन फसलें ले रहे गुरुचरण मरार

लोकसदन >> कोरबा।

पोड़ी-उपरोड़ा विकासखंड के ग्राम नगौई बछेरा निवासी किसान गुरुचरण मरार पहले परंपरागत तरीके से धान की खेती करते थे। वर्ष में एक ही फसल लेने के कारण खेती से होने वाली आय सीमित थी। सिंचाई का साधन नहीं था और कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर व अन्य मशीनें किराये पर लानी पड़ती थीं। ऐसे में छह सदस्यीय परिवार की जरूरतें पूरी करना कठिन होता था।



गांव के भ्रमण के दौरान उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों ने श्री मरार को विभागीय योजनाओं और आधुनिक खेती की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने शासकीय उद्यान रोपणी, नगौई में आवेदन किया। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उन्हें ड्रिप सिंचाई प्रणाली, प्लास्टिक मल्चिंग तथा ग्राफ्टेड बैंगन रोपण के लिए कुल 46 हजार रुपये का विभागीय अनुदान मिला।

इन संसाधनों और विभागीय मार्गदर्शन की मदद से श्री मरार ने खेती के तरीके में बदलाव किया। अब वे वर्ष में दो से तीन फसलें लेते हैं और वर्तमान में भिंडी की खेती से भी आय अर्जित कर रहे हैं। विभाग को दी गई जानकारी के अनुसार, उनकी अनुमानित वार्षिक आय पहले लगभग 45 हजार रुपये थी, जो अब लगभग ढाई से तीन लाख रुपये तक पहुंच गई है। बढ़ी हुई आय से परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी है। वे गांव के अन्य किसानों को भी खेती से जुड़ी जानकारी देते हैं। श्री मरार कहते हैं कि उद्यानिकी विभाग से योजनाओं की जानकारी मिलने पर उनका आधुनिक खेती के प्रति उत्साह बढ़ा। वे आगे भी विभागीय मार्गदर्शन लेकर खेती करना चाहते हैं और मिली सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

ी करीब 1
ा बरामद

प एक्ट के तहत् देहाती नालसी
विवेचना में लिया गया।
ग में विवेचना दौरान फरार आरोपी
मार की पतासाजी कर दबिश देकर
ग। पुछताछ पर उसने बताया कि
युक्त ट्रक को अलीगढ़ उत्तरप्रदेश
थी के नाम से पंजीकृत होना जिसे
। में अपने देखरेख में चलना
था ट्रक में हाथरस उत्तरप्रदेश के
माध्यम से उड़ीसा से प्लास्टिक
साथ मादक पदार्थ गांजा लोड करा
ाऊ उत्तरप्रदेश ले जा रहे थे तभी
.09.2026 को वाहन घाट पेण्डारी
तट जाने से मादक पदार्थ गांजा को
र छुपाकर गड्ढा में तिरपाल से ढंक
बताया। मामले में आरोपी सुनील
ता लक्ष्मण सिंह, उम्र 32 वर्ष
द्रानगर खैरी रोड, थाना देहली गेट,
ीगढ़ (उ0प्र0) को गिरफ्तार किया
ाले में फरार अन्य आरोपियों की
की जा रही है।
कार्रवाई में थाना प्रभारी चंदौरा
सिंह धुर्वे, प्रधान आरक्षक शैलेष
वत दयाल पैकरा, आरक्षक अभय
प्रवधेश कुशवाहा, सूरज पाटिल,
सा, कमलेश यादव, अमृतलाल
शोक कुमार व मनोज राजवाड़े
।

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक/बसु/तह. / वा. 1 / 2026
पाली, दिनांक /08/2026
// **इंश्तहार ग्राम पटपरा** //
एतद् द्वारा आम जनता तहसील पाली जिला कोरबा को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्यामलाल पिता/पति बोक जाति सारथी साकिन पटपरा तहसील पाली जिला कोरबा द्वारा अपने चाचा पंचराम पिता विश्वनाथ की मृत्यु ग्राम पटपरा में दिनांक 01.01.1976 को होने से स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु का जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 एवं छत्तीसगढ़ जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2001 के अनर्गत जन्म / मृत्यु की निर्दम अनुज्ञा/आदेश प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, अनुलपब्धता एवं अन्य दस्तावेज सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन पेश किया गया है।
उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा / आपत्ति हो तो वह स्वयं अथवा अपने मान्य अभिभाषक के साथ दिनांक 16.10.2026 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
आज दिनांक 29.09.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुद्रा से जारी।

सील

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
पाली

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय, अंबिकापुर (छ.ग.)

Central Bank of India
Regional Office, Ambikapur (C.G.)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखी गई अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचनाः

आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया" के पास बंधक रखी गई है, जिसका भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा (संपत्ति के सामने विशेष रूप से उल्लिखित) सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बंधक समझौते के तहत लिया गया है, नीलामी के लिए रखी जाएगी तथा इसे नीचे उल्लिखित **"जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) से सुरक्षित ऋणदाता सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देय राशि की वसूली की जा सके। संबंधित सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि नीचे उल्लिखित है।

स. क्र.	उधारकर्ताओं/ शाखा का नाम	संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण और संपत्ति के मालिक / कब्जा का प्रकार	मांग सूचना की तिथि / बकाया राशि / कब्जा सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य / धरोहर जमा राशि / बोली वृद्धि राशि	शाखा नाम/ सम्पर्क व्यक्ति एवं सम्पर्क नंबर
01	**मे सर्स ऋषभ राइस मिल, प्रोपराइटर- श्री शिव कुमार टंडन, पता-** रामभाटा, कोसिर रोड, सारंगढ़, छत्तीसगढ़, पिन- 496445. **श्रीमती नीतू टंडन,** मकान नं. 10, सतनामी पारा, चनामुडा, जिला- सारंगढ़- बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ 496445 **शाखाः सारंगढ़ (छ.ग.)**	**श्रीमती नीतू टंडन** के नाम पर खसरा नं. **69/70/1क**, जिसका क्षेत्रफल 0.020 हेक्टेयर, खसरा नं. **69/70/1घ**, जिसका क्षेत्रफल **0.098** हेक्टेयर, एवं खसरा नं. **69/70/1ङ**, **0.02** हेक्टेयर ग्राम- चनामुड़ा, प.ह.नं. 10, आर.एन.एम. हरदी (अब कोसीर), तहसील- सारंगढ़, जिला- सारंगढ़- बिलाईगढ़ (रायगढ़ जिले के बँटवारे के बाद), छत्तीसगढ़। **विलेख के अनुसार इसकी चौहद्दीः उत्तर-** जल निकासी, **दक्षिण-** डब्ल्यूबीएम सड़क, **पूर्व-** अनुजराम की भूमि, **पश्चिम-** आछेराम की भूमि। **सांकेतिक कब्जा**	23/12/2025 ₹ **3,13,76,729.14** + उस पर ब्याज व अन्य व्यय 07/03/2026	PROPERTY-1 ₹ 2,12,02,200/- ₹ 21,20,220/- ₹ 3,00,000/-	सारंगढ़ श्री गजेन्द्र राणा मो. 7868040785
		2. श्रीमती नीतू टंडन के नाम पर खसरा नं. **13/3**, जिसका क्षेत्रफल **0.105** हेक्टेयर एवं **13/4**, क्षेत्रफल- **0.142** हेक्टेयर, ग्राम- रामभाटा, प.ह.नं. 10, आर.एन.एम. हरदी (अब कोसीर), तहसील- सारंगढ़, जिला- सारंगढ़- बिलाईगढ़ (रायगढ़ जिले के बँटवारे के बाद), **विलेख के अनुसार इसकी चौहद्दी खसरा नं. 13/3: उत्तर-** आजूराम की भूमि, **दक्षिण-** जंगल, **पूर्व-** रामजी की भूमि, **पश्चिम-** नीतू टंडन की भूमि, **खसरा नं. 13/4, उत्तर-** आजूराम की भूमि, **दक्षिण-** सरकारी भूमि, **पूर्व-** लालमन की भूमि, **पश्चिम-** लालजी की भूमि।	PROPERTY-2 ₹ 1,29,43,530/- ₹ 12,94,353/- ₹ 1,50,000/-		
		3. श्रीमती नीतू टंडन के नाम पर ग्राम- रामभाटा, प.ह.नं. 10, रा.नि.मं.- हरदी (अभी- कोसीर), तहसील सारंगढ़, जिला- सारंगढ़- बिलाईगढ़ (रायगढ़ जिले के बंटवारे के बाद), छत्तीसगढ़ में स्थित खसरा नं. **13/1, 13/2, 13/5** एवं 13/6 वाली भूमि व उस पर बनी भवन (कुल क्षेत्रफल **44,908** वर्ग फीट)। **विलेख के अनुसार चौहद्दी खसरा नं. 13/1 एवं 13/2: उत्तर-** आजूराम की भूमि, **दक्षिण-** सरकारी भूमि, **पूर्व-** बृजलाल की भूमि, **पश्चिम-** रामजी की भूमि। **खसरा नं. 13/5: उत्तर-** आजूराम की भूमि, **दक्षिण-** जंगल, **पूर्व-** रामजी की भूमि, **पश्चिम-** नीतू टंडन की भूमि, **खसरा नं. 13/6: उत्तर-** आजूराम की भूमि, **दक्षिण-** जंगल, **पूर्व-** कैलाश की भूमि, **पश्चिम-** लालजी की भूमि।	PROPERTY-3 ₹ 58,60,494/- ₹ 5,86,050/- ₹ 1,00,000/-		
		4. श्रीमती नीतू टंडन के नाम पर ग्राम- रामभाटा, प.ह.नं. 10, रा.नि.मं- कोसीर, तहसील- सारंगढ़, जिला- सारंगढ़- बिलाईगढ़ (रायगढ़ जिले के बंटवारे के बाद), छत्तीसगढ़ में स्थित खसरा न. **9/1, 9/3, 10** एवं 11 वाली भूमि व उस पर बनी भवन (कुल क्षेत्रफल **61,040** वर्ग फीट)। **विलेख के अनुसार चौहद्दी: खसरा नं. 9/1- उत्तर-** सुरजीत की भूमि, **दक्षिण-** नीतू की भूमि, **पूर्व-** नीतू की भूमि, **पश्चिम-** द्रौपदी बाई की भूमि, **खसरा नं. 9/3: उत्तर-** विक्रेता की बची हुई भूमि, **दक्षिण-** सरकारी भूमि, **पूर्व-** लालमन की भूमि, **पश्चिम-** वेदराम की भूमि, **खसरा नं. 10: उत्तर-** मुरली की भूमि, दक्षिण- रामजी की भूमि, **पूर्व-** लालजी की भूमि, **पश्चिम-** रामदीन की भूमि, **खसरा नं. 11: उत्तर-** नीतू की भूमि, **दक्षिण-** सरकारी तालाब, **पूर्व-** लालजी की भूमि, **पश्चिम-** नीतू की भूमि। **सांकेतिक कब्जा, SA दायर**	PROPERTY-4 ₹ 54,88,560/- ₹ 5,48,856/- ₹ 1,00,000/-		
2.	**मेसर्स अमर ट्रांक (मालिक- श्री अनिल कुमार वर्मा) पुत्र श्री राधे श्याम वर्मा,** ग्राम- हर्राटोला, वार्ड नं. 7, राजेंद्र प्रसाद वार्ड, प.ह.नं. 10 आर. एन. एम. बैकुंठपुर, तहसील- बैकुंठपुर, जिला- कोरिया, छत्तीसगढ़। **शाखाः बैकुंठपुर (छ.ग.)**	**श्री अनिल कुमार वर्मा** के नाम पर खसरा नं. **26/2** (कुल क्षेत्रफल 0.0240 हेक्टेयर), ग्राम- हर्राटोला, वार्ड नं. 7, राजेंद्र प्रसाद वार्ड, प.ह.नं. 10 (हर्राटोला), आरएनएम- बैकुंठपुर, तहसील- बैकुंठपुर, जिला-कोरिया, छत्तीसगढ़ में स्थित खुली भूमि। **सांकेतिक कब्जा, कोई SA नहीं**	03/10/2024 ₹ **8,39,045.29** + उस पर ब्याज व अन्य व्यय 04/01/2025	₹ 9,29,000 ₹ 92,900 ₹ 25,000	बैकुंठपुर श्री संजय सिंह मो. 9049510013

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
15/10/2026 दोपहर 02:00 बजे से 4:00 बजे के बीच	16/10/2026, दोपहर 3:00 बजे तक।	16/10/2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक

ई-नीलामी "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ है आधार" पर आयोजित की जा रही है।
1. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और दावों/ अधिकारों/ बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।
2. बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पहले ही पूरी करनी होंगीः **चरण 1-** बोलीदाता/ क्रेता पंजीकरणः बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल **https://www.baanknet.com** पर पंजीकरण करना होगा। **चरण 2-** केवाईसी सत्यापनः बोलीदाता को अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (इसमें दो कार्य दिवस लग सकते हैं)। **चरण 3 -** ईएमडी राशि का उसके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरणः ई-नीलामी पोर्टल पर उत्पन्न चालान का उपयोग करके एनईएफटी/ टूांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन/ ऑफ-लाइन हस्तांतरण। **चरण 1 से चरण 3** बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी तिथि से पहले काफी पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। पते के प्रमाण की प्रति, जिसको बिना बोली अस्वीकृत जा सकती है।
3. ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया अपनी बोलियां जमा करने और इसमें भाग लेने से पहले **https://www.baanknet.com** और सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी **www.centralbankofindia.co.in** देखें।

अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ एक ही बोली लगाने वाला (बिडर) है, तो उसे ई-नीलामी में हिस्सा लेना होगा और अपनी बोली की रकम को उस संपत्ति के लिए ऊपर दी गई टेबल में बताई गई **"बोली बढ़ाने की रकम"** के बराबर बढ़ाना होगा, ऐसा न करने पर उसे सफल बोली लगाने वाला घोषित नहीं किया जाएगा। अगर **सांकेतिक कब्जा** के मामले में बैंक किसी भी वजह से **भौतिक कब्जा** नहीं दे पाता है (जैसा कि बैंक ने बताया हो), तो सफल बोली लगाने वाले को 3 महीने के अंदर अपनी जमा की गई रकम का दावा करना होगा, इस पर कोई ब्याज या दावा नहीं दिया जाएगा और बैंक की कोई जिम्मेदारी या हर्जाना देने की बाध्यता नहीं होगी।

सफल बोली लगाने वाले को बोली की रकम का **25%** (**EMD** काटकर) सफल बोली लगाने वाले के ऐलान के अगले दिन और बाकी **75%** 15 दिनों के अंदर सेल इंटिमेशन लेटर में बताए गए अकाउंट में जमा करना होगा (जो उसे जारी किया जाएगा)। अगर वह सेल इंटिमेशन लेटर में बताई गई रकम जमा नहीं कर पाता है, तो पहले से जमा की गई रकम जब्त कर ली जाएगी और प्रॉपर्टी का नया ऑक्शन किया जाएगा। बोली लगाने वाले अपने ऑफिस/अपनी पसंद की जगहों से कोटेशन/बोली लगाकर ई-नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। हर बोली लगाने वाले को खुद इंटरनेट कनेक्टिविटी पक्की करनी होगी। बैंक/सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क की दिक्कतों, सिस्टम क्रैश होने, बिजली जाने वगैरह के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिनों की बिक्री

उधारकर्ताओं/गारंटरों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की ई-नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत की वसूली की जाएगी।

दिनांक : 01.10.2026 **स्थानः अंबिकापुर (छ.ग.)** **प्राधिकृत अधिकारी / सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

अस्पताल को जन्मदिन में दी सीटी स्कैन की सौगात